भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 859**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात और गुणवत्ता अनुपालन

859 **सुश्री स्वाति मालिवाल:**
क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात का श्रेणी-वार तथा गन्तव्य- वार मूल्य और परिमाण क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ष विदेश में अस्वीकृत किए गए प्रेषण की देश-वार, श्रेणी-वार और कारण-वार संख्या कितनी है और ऐसे अस्वीकार किए जाने के कारण कितना अनुमानित वार्षिक निर्यात घाटा हुआ है;

(ग) एनएबीएल / एपीईडीए अनुमोदित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) एमएसएमई और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में अपनी भागीदारी बढ़ाने में सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत से पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्यात किए गए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के मूल्य और परिमाण, श्रेणी-वार और गंतव्य-वार का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ख) आयात करने वाले देशों द्वारा कृषि उत्पादों की अस्वीकृति को गैर-अनुपालन के रूप में अधिसूचित किया जाता है। गैर-अनुपालन के कारण उत्पाद के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं, और मुख्य रूप से संदूषण की मानक सीमा में अंतर के कारण होते है। वर्ष 2021 से 2025 की अवधि के दौरान प्रमुख वस्तुओं के संबंध में आयात करने वाले देशों द्वारा अधिसूचित गैर-अनुपालन का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग) एनएबीएल एवं एपीईडीए द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपने पंजीकृत निर्यातकों, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और महिला नेतृत्व वाले उद्यम शामिल हैं, को निर्यात अवसंरचना, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास को कवर करने वाली वित्तीय सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान

करता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लागतों का 40% तक और महिला उद्यमियों के लिए 75% तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एपीईडीए ने निर्यात तत्परता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करते हुए 1,400 से अधिक क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) विभिन्न पहलों और योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना(पीएमएफएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है। पीएमएफएमई विशेष रूप से एमएसएमई और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह योजना देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है।

*****

दिनांक 06.02.2026 को उत्तर के लिए नियत राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के भाग (क), (ख) एवं (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों में भारत द्वारा विश्व को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात:

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

मात्रा मिलियन टन और **मिलियन लीटर में

वस्तु	पिछले पांच वर्षों में	
	मूल्य	मात्रा
मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों की मांस सामग्री	3719.30	0.45
चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी।	20355.20	44.68
कोको और कोको से बनी सामग्री ।	937.25	0.18
अनाज, आटा, स्टार्च या दूध से बनी सामग्री; पेस्ट्री और कुकिंग उत्पाद।	3718.81	2.26
सब्जियां, फल, मेवे या पौधों के अन्य भागों की सामग्री।	4767.61	3.36
विविध खाद्य सामग्री ।	6486.07	1.71
पेय पदार्थ, स्पिरिट और सिरका।	1954.51	1.44
खाद्य उद्योगों से प्राप्त अवशेष और अपशिष्ट; तैयार एनीमल फॉडर ।	11104.70	24.36
कुल	53043.5	78.44

स्रोत: डीजीसीआईएस

अनुलग्नक -II

भारत से विश्व को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्य:

मांस, मछली या क्रस्टेशियन, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों की मांस सामग्री

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	**पिछले पांच वर्षों में**
यूएसए	3032.74
कनाडा	240.27
बेलजियम	58.34
कुल	**3531.04**

चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	**पिछले पांच वर्षों में**
सूडान	2519.82
लीबिया	581.34
सोमालिया	1357.76
कुल	**10644.60**

कोको और कोको से बनी सामग्री,

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	पिछले पांच वर्षों में
अमेरिका	233.39
नीदरलैंड	54
यूएई	57.09
कुल	**674.31**

अनाज, आटा, स्टार्च या दूध से बनी सामग्री; पेस्ट्री और कुकिंग उत्पाद।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	पिछले पांच वर्षों में
यूएसए	650.34
यूएई	265.65
यूके	209.4
कुल	**2188.68**

सब्जियां, फल, मेवे या पौधों के अन्य भागों की सामग्री।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	पिछले पांच वर्षों में
यूएसए	828.84
नीदरलैंड	360.77
सऊदी अरब	262.09
कुल	**2923.36**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

विविध खाद्य सामग्री

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश/ क्षेत्र	पिछले पांच वर्षों में
यूएसए	1244.66
यूएई	601.58
रूस	380.65
कुल	**3779.26**

पेय पदार्थ, स्पिरिट और सिरका

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	**पिछले पांच वर्षों में**
यूएई	580.7
सिंगापुर	141.47
नीदरलैंड	66.26
कुल	**1239.86**

खाद्य उद्योगो से प्राप्त अवशेष और अपशिष्ट, तैयार एनीमल फोडर

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

देश / क्षेत्र	**पिछले पांच वर्षों में**
बांग्लादेश पीआर	2113.19
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	1152.08
कोरिया गणराज्य	911.66
कुल	**7500.41**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

गैर-अनुपालन का विवरण

माल	गैर-अनुपालन की संख्या				
	2021	2022	2023	2024	2025
यूरोपीय संघ					
चावल	10	39	25	38	44
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	11	37	17	7	15
फल और सब्जियां	24	20	26	24	21
प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद	38	33	23	32	29
अन्य (घी)	-	-	-	-	1
मसाले	25	56	56	35	73
चाय	1	3	1	5	1
इंडोनेशिया					
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	-	1	2	4	12
गेहूँ	-	2	-	-	-
थाईलैंड					
मूंगफली	-	-	7	3	8
वियतनाम					
मूंगफली	-	1	-	-	-
आज़रबाइजान					
मूंगफली	-	-	1	-	-
फिलिपींस					
मूंगफली	-	-	2	-	-
मसाले	0	0	0	0	2
सिंगापुर					
मूंगफली	-	-	8	-	-
मसाले	-	-	-	-	2
ऑस्ट्रेलिया					
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	-	-	-	2	3
ताजे फल और सब्जियां	-	-	-	1	2
अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	-	-	-	19	5
मसाले	-	-	14	15	17
ताइवान					
चाय	1	-	-	-	-
यूएसए					

चाय	-	-	-	1	-
मसाले	93	102	60	74	169
जापान					
मसाले	-	-	2	2	-
हांगकांग					
मसाले	-	-	-	2	4
अन्य देश					
मसाले	6	1	2	4	-

* स्रोत: यूरोपीय आयोग के रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड (आरएएसएसएफ) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी और आयात करने वाले देशों के सक्षम अधिकारियों से प्राप्त गैर-अनुपालनों के आधार पर एपीडा, चाय बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा यथा संकलित ।

अनुबंध- IV

एनएबीएल/एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या

एस. नं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	छत्तीसगढ	1
3.	दिल्ली	6
4.	गुजरात	13
5.	हरियाणा	11
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	झारखंड	1
8.	जम्मू और कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	9
10.	केरल	7
11.	महाराष्ट्र	31
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	ओडिशा	1
14.	पंजाब	1
15.	राजस्थान	2
16.	तेलंगाना	7
17.	तमिलनाडु	15
18.	उत्तर प्रदेश	3
19.	उत्तराखंड	2
20.	पश्चिम बंगाल	4
कुल		**125**